

सं० 1(10)-ई III(बी)|70

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(अर्थ विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी, 1974.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- किसी अवकाश (रेटायरमेंट) विभाग में सेवा के लिए उधार दिये गये सरकारी कर्मचारियों का छुट्टी-वैतन ।

उपरोक्त विषय पर इस मंत्रालय के 16 सितम्बर 1965 के कार्यालय ज्ञापन सं० 7(203)-ई० IV (ए)|65 का हवाला देते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि एक प्रश्न उठाया गया है कि अवकाश विभाग में स्वीयेतर सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये सरकारी कर्मचारियों के छुट्टी-वैतन के अंशदान का हिसाब किस प्रकार लाया जाना चाहिये । इस विषय में यह निर्णय किया गया है कि वित्त मंत्रालय के 16-9-65 के कार्यालय ज्ञापन के उपबन्ध, यथापरिवर्तित रूप में, स्वीयेतर सेवा के लिए अवकाश विभाग में स्थानान्तरित व्यक्तियों पर भी लागू होंगे ।

जी. ए. निम
(बी० एस० निम)

अवर सचिव, भारत सरकार.

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को ।

प्रतिलिपि प्रेषित, अजी पाठ में दी गई सूची के अनुसार ।

(प, शु, ब)